

:-आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम आदेश:-

क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निदेशालय के आन्तरिक अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण कार्यक्रम (माह अप्रैल 2025 से जून 2025) जारी करते हुए निम्नांकितानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. चित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(10) चित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित करावें, एवं दिनांक 01.08.2017 कार्य विवरण में निर्देशित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
2. प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर समस्त अंकेक्षण दल सम्बन्धित संगणक मुख्यालयों/निदेशालय पर उपस्थित रहेंगे।
3. समस्त अंकेक्षण दल प्रभारी अंकेक्षण कार्यालय में अंकेक्षण प्रारम्भ करते ही कार्यालय के नाम, दूरभाष नं., ई-मेल आईडी आदि से वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी को दूरभाष पर अवगत करावें। इसकी सूचना पत्र के माध्यम से एवं वित्तीय सलाहकार की ई-मेल आईडी (FAMH-RJ@NIC.IN)पर भी भिजवावें। जांच दल अपनी लाईव लोकेशन स्टेटस प्रत्येक कार्य दिवस में 10.30 बजे तक आवश्यक रूप से आन्तरिक जांच WhatsApp App. Group/ लेखाधिकारी के दूरभाष नंबर 9828590350 पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अंकेक्षण दल प्रभारी अंकेक्षण दल द्वारा किये जा रहे कार्य का दिनांक वार सक्षित पाक्षिक कार्य विवरण नियमित रूप से माह में दो बार (दिनांक 5 एवं दिनांक 20 तक) लेखाधिकारी (अंकेक्षण) एवं सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में अंकेक्षण दलों के यात्रा भत्ता बिल प्रतिहस्ताक्षर किये जाने सम्भव नहीं होंगे।

4. (i) समस्त अंकेक्षण दल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि अंकेक्षण कार्य के दौरान संबंधित कार्यालय के समस्त बकाया आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की जावें। समस्त बकाया आक्षेपों की अनुपालना प्राप्त करें। जो पैरा नियमों के अनुसार अनुपालना प्राप्त होने पर अंकेक्षण प्रभारी निरस्त योग्य पैरा के सम्बन्ध में अभिशपा करेंगे, एवं शेष बकाया पैराज को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भाग स में अंकित करेंगे। इन निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें। इसके अभाव में अंकेक्षण प्रतिवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(ii) समस्त अंकेक्षण दल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1831 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा जारी निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित करते हुए कार्यालयों द्वारा ओपीडी/आईपीडी/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा न कराने, सत्यापन में राशि उपलब्ध न होने को गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए तथ्यों का नियमानुसार उचित विवेचन करते हुए तदुत्तरूप अनुच्छेद गठित किया जाये।

- (iii) जिन आक्षेपों को सत्यापन की शर्त पर निरस्त किया गया है उनका संस्था की अद्यतन पालना के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक रेकार्ड देखकर सत्यापित करे एवं अनुपालना में स्पष्ट टिप्पणी करें कि संस्था द्वारा आक्षेप की पालना पूर्ण एवं सही की गयी है। ऐसे आक्षेपों को निरस्त किये जाने की सिफारिश अलग से पत्र द्वारा अंकेक्षण दल प्रभारी द्वारा की जावे और यदि पालनानुसार कार्यवाही पूर्ण नहीं पायी जावे तो ऐसे आक्षेपों को प्रतिवेदन के भाग-"स" में पुनः सम्मिलित कर लिया जावे।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की स्वीकृति आई.डी. सं. 151000473 दिनांक 21/05/2010 एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश क्रमांक F.1(98)NRHM/Acts/2009/6179दिनांक 31/05/2010 के अनुसारण में समस्त आंतरिक अंकेक्षण दल विभागीय अभिलेखों के अंकेक्षण के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित अभिलेखों (मय जननी सुरक्षा एवं जननी शिशु सुरक्षा योजना के अभिलेखों के) का आंतरिक अंकेक्षण कार्य भी पूर्ण करेंगे।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण दलों द्वारा प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार किया जावेगा, एक प्रति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मदों से सम्बन्धित होगा तथा द्वितीय प्रति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित होगा जिसमें जननी सुरक्षा एवं जननी शिशु सुरक्षा योजना के भुगतानों के बारे में विशेष उल्लेख किया जावेगा।

6. आंतरिक अंकेक्षण दलों द्वारा दोनों जांच प्रतिवेदन (विभागीय अभिलेखों एवं एन.आर.एच.एम. अभिलेखों के अलग-अलग) पूर्व की भांति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये जावेंगे।

निदेशालय के पत्रांक लेख-12(6)/आ.अंके./मुनि.द.से./2015/880 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा एम.एन.डी.वाई/एम.एन.जे.वाई के सम्बन्ध में रिकॉर्ड को अद्योहस्ताक्षरित करने के लिए उक्त योजना के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की जांच कर आक्षेप/टिप्पणी प्रेषित किया जावेगा।



Designation: Financial Advisor
Date: 2025.03.27 / 17:27:18 IST
Reason: Approved

7. अवलोकण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लेखा मर्दाने तथा एन.आर.एच.एम. एवं अन्य योजनाओं के लेखा मर्दाने से सम्बन्धित समस्त लेखा रिकार्ड साक्षित आर.एम.आर.एस. के लेखों की जांच की जाये। गणित किये जाने वाले आक्षेपों में आक्षेप का विवरण (विषय वस्तु) सम्बन्धित नियमों जिनका उल्लंघन हुआ है, का स्पष्ट उल्लेख किया जाये एवं आक्षेप में अपेक्षित कार्यवाही या सुझाव प्रस्तावित किया जाये। समय-समय पर जाँची किये गये अधिमौ एवं उनके समायोजन की जांच की जाकर प्रतियोगन में अलग से आक्षेप गणित किये जायें।

४. आंतरिक अंकेक्षण दलों द्वारा जांच कार्य के दौरान जारी किये जाने वाले समस्त मांग-पत्रों (फीमांग) के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तर एवं मांग पत्रों को प्रतिवेदन के एनेक्सर के रूप में सम्मिलित किये जावे।

३. अकक्षेण समादि पर निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्यालयाध्यक्ष से विचार विमर्श कर तथ्यों की पुष्टि स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाकर विभागीय बजट मद (विकित्सा एवं स्वास्थ्य लेखा मद) से सम्बन्धित प्रतिवेदन तीन प्रतियों में तथा एन.आर.एच.एम. अभिलेखों का प्रतिवेदन चार प्रतियों में ७ दिवस में अगले कार्यालय से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर रखी जावें। विलम्ब से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाकर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

10. स्वार्थित कार्यालय में पूर्व जांच प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करवे।

11. अकक्षेपण दल में सहायक लेखाधिकारी/प्रमारी का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होने/अवकाश पर होने की स्थिति में कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय संबंधित जोन के पर्यवेक्षण में/साथ में जांच कार्य किया जावे। अकक्षेपण दल प्रमारी अधिकारी एवं सदस्य, अकक्षेपण प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए लघु हस्ताक्षर करेंगे।

12. बिना पूर्व अनुमति के कार्य स्थल का त्याग नहीं करें। यदि अंकेक्षण दल के प्रभासी या सदस्य को किसी कारण से झूट्टी मुख्यालय छोड़ना हो तो उसकी सूचना दूरभाष/फैक्स से अट्रोइलरान्तरकर्ता को तत्काल दी जाय। ऐसा न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अनल में लाई जावेगी।

13. जारी किये गये त्रैमासिक अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में ही अंकेक्षण कार्य समाप्तित करने। अंकेक्षण कार्यक्रम में यदि किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन वांछनीय हो तो अद्य हेतुसंसाधनकर्ता की बिना पूर्व अनुमति के परिवर्तन नहीं किया जावे। विशेष परिस्थितियों में समय कार्य का संक्षिप्त विवरण पर्याप्त समय पूर्व ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें। बिना अनुमति के किया गया परिवर्तन/संशोधन जानबूझकर की गयी आदेशों की अवहेलना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

14. अंकेक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता का बार-बार उजागर होना पाया जावे एवं अंकेक्षण दल प्रभारी आवश्यक समझे तो ऐसी मदों के सन्बन्ध में ऐसे सम्पूर्ण कार्यकाल का विस्तृत अंकेक्षण किया जावे। यदि ऐसी कोई भी गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें अथवा हानि अंकेक्षण के दौरान उजागर हुयी हो तो उसका उल्लेख उपसंहार में भी किया जावे।

15. अंकेक्षण कार्यक्रम में उल्लेखित कार्यालयों में यदि “मंडिकेयर रिलीफ सोसायटी” संघालित हैं तो उनके लेखों का अंकेक्षण आएएमआरएस नियमावली के अनुसार संस्था द्वारा किये जाने वाले व्यय विभागीय नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार ही किये जाने संबंधित आक्षेप का आवश्यक रूप से उक्त विधारित अवधि में किया जाकर विभागीय लेखाभद्र (बिकिलिंग एवं स्वास्थ्य बजट मद) से सबाधित अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन आक्षेपों को सम्मिलित किया जावे।

16. समस्त आन्तरिक जांच दलों को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा/आ.जा./विविध-III/2020/1831 दिनांक 31.08.2020 की पालना सुनिश्चित करें एवं कार्यालय द्वारा आरएसआरएस में किसी प्रकार की ओपीडी/आईपीडी/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में अनियमितता न पाये जाने पर भी प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें साथ ही ओपीडी/आईपीडी/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का मौखिक सत्यापन कर (नकद व बैंक शेष में) उपलब्ध शेष के अनुसार पैरा गठन करें। प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में उल्लेख न किये जाने पर आं. जा. दलों को यात्रा-भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही अमल में लाई जावेगी।

17. RMRS में OPD/MPD या अन्य स्रोतों से प्राप्त आय डिगिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रमाणित की जाना चाहिए।

18. अधीनस्थ कार्यालयों में संचालित आरएमआरएस खाते में प्रादेशिक डिजिटल रिलीफ सोसायटी 2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 31.03.2018 के अन्तर्गत आदेशों की Reason: Approved

सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गयी है। जांच दल सम्बन्धित संस्था के लेखों के अंकेक्षण के समय आरम्भआरम्भ में प्राप्त आय एवं किए गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण कर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय का उल्लेख प्रतिवेदन के आक्षेप में अनिवार्य रूप से करें। निर्देशों की अवहेलना पर जांच दल स्वयं उत्तरदायी होगा।

19. आक्षेपों में अभिप्रेत हानि/अभियोगित राशि का हवाला देते हुए पैरा के शीर्षक में भी राशि का स्पष्ट अंकन करें। हानि/अभियोगिता के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम आक्षेप में स्पष्ट अंकित करें।

20. आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय तथा आवास दूरमाप नम्बर व मोबाईल नम्बर के साथ ही अंकेक्षण कार्य में लिये गये कुल कार्य दिवसों की संख्या तथा गठित कुल आक्षेपों की संख्या भी अंकित की जावे।

21. स्ट्रेर में पाई गई अनियमितताओं एवं इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही/सुझावों का अंकेक्षण प्रतिवेदन में आवश्यक रूप से उल्लेख करें।

22. समस्त परिशिष्ट प्रतिवेदन के बीच-बीच में संलग्न न करके प्रतिवेदन के अंत में एक साथ संलग्न करें, जिन पर परिशिष्ट क्रमांक के साथ आक्षेप क्रमांक भी अंकित हो एवं प्रतिवेदन में गठित आक्षेप में परिशिष्ट संख्या व उसके पृष्ठ क्रमांकों का भी अंकन करें।

23. समस्त आंतरिक जांच दल प्रमारियों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व प्रतिवेदन में सत्यापन की शर्त पर निरस्त किये गये आक्षेपों की समीक्षा अवश्य करें। आपके यात्रा भत्ता विलों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए यह आधार बनाया जावेगा।

24. समस्त आंतरिक जांच दल सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि जांच दल प्रमारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में दल सदस्यों द्वारा आंतरिक जांच कार्य निरंतर जारी रखना सुनिश्चित करें।

25. समस्त आन्तरिक जांच दलों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई आन्तरिक जांच कार्य शनिवार, रविवार एवं अन्य कारणों से राजकीय अवकाश से तुरन्त पहले दिन पूर्ण हो जाता है तो राजकीय अवकाश को जांच दल अपने मुख्यालय पर रहेंगे।

26. समस्त अंकेक्षण दल अपनी उपस्थिति हेतु निर्धारित प्रारूप में उपस्थिति पंजिका संधारण कर प्रतिमाह की 15 तारीख तक इसकी प्रति सम्बन्धित डीडीओ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यात्रा भत्ता विलों के साथ उपस्थिति पंजिका आवश्यक रूप से संलग्न करें।

27. जांच दल द्वारा मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के लेखों का जांच करते समय PCPNDT ACT के अधीन सोनोग्राफी, एक्सरे/MRI आदि के पंजीकरण के संबंध में प्राप्त राजस्व एवं उसके संबंध में किये गए व्यय के लेखों की जांच करें।

28. प्रमुख विकित्सा अधिकारी के लेखों की जांच करते समय PPP मोड पर संचालित एक्सरे/CT/MRI आदि के संचालन से प्राप्त राजस्व एवं भुगतान संबंधी लेखों की भी जांच करें।

29. विभागीय बजट मद एवं एन.एच.एम के प्रतिवेदनों में गंभीर आक्षेपों का प्रतिवेदन के भाग-1 अनुच्छेद 3 में स्पष्ट उल्लेख करें। संस्था द्वारा पूर्व में जांच दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा बैंक समाधान विवरण आदि की जांच आवश्यक रूप से करें।

30. समस्त अंकेक्षण दल विकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष कर मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संचालित/संघारित राजकीय/अनुबन्धित किये के वाहनों के संचालन उन पर किये गये व्यय का पूर्व अंकेक्षण कर आक्षेप प्रतिवेदन में सम्मिलित करें।

31. प्रतिवेदन में गबन/अनियमित/अधिक/अदेय भुगतान की वसूली एवं उस पर देय ब्याज की स्पष्ट गणना कर राशि आक्षेप के शीर्षक में आवश्यक रूप से अंकित कर उत्तरदायी कर्मिकों के नाम सहित गणना प्रपत्र प्रतिवेदन के परिशिष्ट के रूप में संलग्न करें। आक्षेप में भी परिशिष्ट का उल्लेख किया जावे।

32. अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ जांच दल प्रमारी एवं सदस्यों द्वारा किया गया प्रतिदिन कार्य विवरण (Work Sheet) आवश्यक रूप से संलग्न करें।

33. समस्त आन्तरिक जांच दल प्रमारी/सदस्य उक्त निर्देशों की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें। निर्देशों की अवहेलना पर अंकेक्षण दल उत्तरदायी होगा।

क्र 0 सं 0	अंकेक्षण दल प्रमारी/सदस्य जान का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	डीडीओ कोड	अंकेक्षण लेखा अवधि	अंकेक्षण हेतु निर्धारित तिथियां
1.	श्री हीरा सिंह AAO-I मो. 9829869495 दल सदस्य श्री हिमांशु चौधरी, AAO-II जोन-जयपुर	श्रीएसएमओ, मारखीसर (झुन्झुन) प्रायमओ फतेहपुर (सीकर) सीएचसी, एलसाना (सीकर) सीएचसी, गण्डरेला (झुन्झुन) सीएचसी, श्रीमोहापुर (सीकर)	23287 23501 28433 23304 23514	04 / 21 से 03 / 25 04 / 21 से 03 / 25 24.04.25 से 16.05.25 04 / 21 से 03 / 25 24.04.25 से 16.05.25	02.04.25 से 23.04.25 02.04.25 से 16.05.25 02.04.25 से 16.05.25 02.04.25 से 16.05.25 02.04.25 से 16.05.25
2.	श्री गणेश कुमार रंगा	सीएचसी, बिलारा(जयपुर)	23320		

Digitally signed by Veead Gupta
Designation: Financial Advisor
Date: 2025.03.27 12:18 IST
Reason: Approved

	जोन-भरतपुर	श्रीसौरभजी, ब्याना (भरतपुर)	22676	04 / 19 से 03 / 25	18.06.25 से 04.07.25
		श्रीरामएवश्री. हनुमानगढ़	20246	04 / 21 से 03 / 25	02.04.25 से 30.04.25
13	श्री सजय भगवान् AAO-	श्रीएवश्री. चङ्गराना	23004	04 / 21 से 03 / 25	02.05.25 से 19.05.25
	II मो. 7568639171	श्रीएवश्री. अनूपगढ़	23000	04 / 21 से 03 / 25	16.05.25 से 31.05.25
	दल सदस्य	(श्रीमानगणेश)	22978	04 / 22 से 03 / 25	03.06.25 से 19.06.25
	श्री जितेन्द्र कुमार AAO-	श्रीसौरभजी, श्रीमानगणेश	35966	04 / 21 से 03 / 25	20.06.25 से 30.06.25
	II जोन-श्रीकानेर	श्रीएवश्री. गोपाशर-रतनगढ़			
		(पुरु)	37037	04 / 22 से 03 / 25	02.04.25 से 19.04.25
		श्रीएवश्री. फिलोवला			
1	श्री गुलाम चन्द, कुमार	(श्रीमानगणेश)	22995	04 / 21 से 03 / 25	21.04.25 से 07.05.25
4	AAO-I मो. 0414605185	श्रीएवश्री.			
	दल सदस्य	गुनावाण(श्रीमानगणेश)	20209	04 / 23 से 03 / 25	08.05.25 से 23.05.25
	श्री शेखन लाल, AAO-II	श्रीएवएवश्री. श्रीकानेर	32073	04 / 21 से 03 / 25	26.05.25 से 12.06.25
	जोन-श्रीकानेर	श्रीएवश्री. रामगढ़			
		(हनुमानगढ़)			
		श्रीसौरभजी.	28145	04 / 22 से 03 / 25	13.06.25 से 30.06.25
		मोदीवारा(हनुमानगढ़)			
		पौरमजी राजगढ़ (चूक)	22783	04 / 21 से 03 / 25	02.04.25 से 25.04.25
1	श्री राहुल भीना, AAO-II	श्रीसौरभजी, खज्जवाला	28085	04 / 20 से 03 / 25	28.04.25 से 16.05.25
5	मो. 8160988693	(श्रीकानेर)			
	दल सदस्य	श्रीएवश्री. सोलसर (चूक)	22794	04 / 21 से 03 / 25	17.05.25 से 31.05.25
	श्री पवन खत्री AAO-II	श्रीसौरभजी, बुझना(झुंझुनू)	23290	04 / 21 से 03 / 25	03.06.25 से 19.06.25
	जोन-श्रीकानेर	श्रीएवश्री. दुधवाखारा (चूक)	22803	04 / 21 से 03 / 25	20.06.25 से 30.06.25

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 27.03.25

क्रमांक. लेख-12(प्रोग्राम)आं.जां./आं.जां.का./2025-26/efile-32895/829

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मिशन निदेशक, एन.एच.एम./प्रबन्धक निदेशक, आर.एम.एस.सी., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त), एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर/अजमेर/भरतपुर/श्रीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय में पदस्थापित आन्तरिक अंकेक्षण दलों के सदस्यों को बिना अद्य हेरताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति अन्य कार्य में नहीं लगाया जावे।
5. सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष को भेजकर लेख है कि अंकेक्षण दल को समुचित बैठक व्यवस्था एवं आवश्यक सहयोग दिया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रमारी, आन्तरिक अंकेक्षण दल एवं दल सदस्यों को पालनाथ।
7. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर/अजमेर/भरतपुर/श्रीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर को सूचनाएं।
8. श्री रामजीलाल भीणा, सहो लेखाधिकारी-द्वितीय/श्री कपिल भीणा सहो लेखाधिकारी-द्वितीय/श्री रामअवतार भीणा सहो लेखाधिकारी-द्वितीय/श्रीमती तनुजा गुप्ता अतिो प्रशाो अधिकारी/श्री मोहसिन खान/श्री विकास कुमार वैष्णव/आन्तरिक अंकेक्षण दल अनुभाग (गुो) को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रमारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रहित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Veeha Gupta
Designation: Financial Advisor
Date: 2025.03.27 12:27:18 IST
Reason: Approver